"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 223-अ] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 21 अगस्त 2012—श्रावण 30, शक 1934

वित्त विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 अगस्त 2012

अधिसूचना

क्रमांक 1307/680/2012/स्थां./चार.—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1238/680/2012/स्था./चार, रायपुर, दिनांक 03-08-2012 द्वारा राज्य वित्त आयोग के कार्यकाल में दिनांक 01-08-2012 से 31-03-2013 तक वृद्धि किये जाने के फलस्वरूप राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री अजय चन्द्राकर एवं सदस्य, डॉ. अशोक कुमार पारख का कार्यकाल दिनांक 31-03-2013 तक विस्तारित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. जे. खत्री, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.